विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक ....

पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

29.11.22 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 27.12.22 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

27.12.22 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:42:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 228/22 प्रा०पत्र

फरलाल s/o डालू कीर निवासी- कीर खेड़ा तहसील -माण्डल [वगैरा]

—प्रार्थीगण

बनाम

अब्दुल गनी s/o समसुलगनी मुसलमान निवासी- मांडल तहसील- मांडल (वगैरा)
(मुताबिक प्रार्थना पत्र सरकार)

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 27.12.22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कीर खेड़ा पटवार हल्का संतोकपुरा तहसील माण्डल मे उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 9310 कुल किता 01 रकबा 0.2782 हेक्टयर स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.10.22 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कीर खेड़ा पटवार हल्का संतोकपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 9310 कुल किता 01 रकबा 0.2782 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक मांडल को 500/- रूपये/— कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये ... मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:42:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः— तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा